इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 441] भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 अगस्त 2018—श्रावण 17, शक 1940

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग
### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2018

अधि. 26-एफ-1-20-2018-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख और 292-ङ के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-क, 339-ख एवं 339-ङ के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निबन्धन तथा शर्तें)नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 8 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (चार) में, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड तथा पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

> ''परंतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त कलेक्टर गाइड लाइन (दिशानिर्देश) के अनुसार देय विकास फीस के समतुल्य मूल्य के प्लाट बंधक रखकर विकास अनुमति दे सकेगा.''.

Noti. 26-F-1-20-2018-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Sections 292-A, 292-B and 292-E of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Sections 339-A, 339-B and 339-E of the Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Nagarpalika (Registration of Colonizers, terms and conditions) Rules, 1998, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 8, in sub-rule (2), in clause (four), for the full stop, inverted and full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in relation of any development authority constituted under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the competent authority may grant development permission by mortgaging plots equal to the value of development fee payable according to the Collector guideline for the time being in force.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राजीव निगम**, उपसचिव.



नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.